न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 391 / 2024 निर्णय दिनांक :–19.11.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :

मैना सैन पुत्री आनन्दीलाल जाति नाई उम्र बालिग निवासी पनवाड़ हाल निवासी ज्योति कॉलोनी, उंचा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुर राज0।

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0 – अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री अनिल चौहान
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि हाल खाता संख्या 506 खसरा नम्बर 637 रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त आराजी भूमि में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थीया के पिता आनन्दीलाल की मृत्यु के बाद विरासत का नामांतकरण संख्या 158 दिनांक 19.02.1996 भरते समय सहवन से प्रार्थीया का नाम घीसी पुत्री आनन्दीलाल गलत अंकित हो गया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम मैना सैन पुत्री आनन्दीलाल जाति नाई है। प्रार्थीया के पिता आनन्दीलाल के घीसी नाम की कोई पुत्री नही थी।

प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र, अंकतालिका में प्रार्थीया का नाम मैना सैन पुत्री आनन्दीलाल जाति नाई अंकित है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में अलग अलग होने से प्रार्थीया को काफी परेशानी हो रही है तथा राज्य/केन्द्र सरकर की योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रही है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम न्यायहित में दुरूस्त कर मैना सेन पुत्री आनन्दीलाल जाति नाई अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित सहखातेदारान के खिलाफ किसी तरह की रिलीफ नही चाही गई है। इस कारण उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी भूमि हाल खाता संख्या 506 खसरा नम्बर 637 रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम दुरूस्त कर घीसी पुत्री आनन्दीलाल के बजाय मैना सेन पुत्री आनन्दीलाल जाति नाई अंकित किया जावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी सरकार पैरोकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो इस प्रकार है:– चरण संख्या 1 मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के ग्राम पनवाड़ का ख0न0 637 रकबा 0.79 है0 गीता पुत्री मूल्या हि0 1/16 जाति नाई, घीसी पुत्री आनन्दीलाल हिस्सा 1/4 जाति नाई, पूरणमल पुत्र फून्देलाल हि. 1/4 जाति नाई, मधु पुत्री मूल्या हि. 1/16 जाति नाई, मनभर पुत्री फुन्देलाल हि0 1/4 जाति नाई, विष्णु पुत्र मूल्या हि. 1/16 जाति

नाई, शम्भू लाल पुत्र मूल्या हि. 1/16 जाति नाई के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चरण संख्या 2 के संदर्भ में निवेदन है कि आनन्दीलाल की मृत्यु के पश्चात् ततसमय पटवारी हल्का ने मजहमे आम में जांचकर कर मजमे आम की जांव एवं आनन्दीलाल को पत्नि द्वारा बताये गये विधिक वारिसों के नाम नामान्तकरण सं0 158 दि0 19.2.1996 सही रूप से दर्ज किया गया था जिसे भू0अभि0नि0 ने भी अपनी जांच में सही पाया एवं भू0अभि0 निरीक्षक की टिप्पणी पर ही निर्णयकर्ता अधिकारी द्वारा सही रूप से स्वीकृत किया गया है। अः चरण स0 2 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण स0 3 के संदर्भ में निवेदन है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं जनआधार कार्ड में अंकित नाम एवं आनन्दा/आनन्दीलाल के वारिसों के रूप में दर्ज नाम एक ही महिला का है। प्रार्थीया स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 4 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 5 कानूनी है। विशेष आपत्तिया :- प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आरएलआरए 1956 की धारा 136 में भू-प्रबन्ध से पूर्व के रिकार्ड में हुयी त्रुटि को हाल रिकार्ड में संशोधन के प्रावधान है। पत्रावली में ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड नही है जो यह प्रमाणित करता हो कि त्रुटि भू-प्रबन्ध से पूर्व हुयी हो। साथ ही यह भी प्रमाण स्वरूप राजस्व रिकार्ड सलंग्न नही है कि मैना एवं घीसी एक ही महिला का नाम है और आनन्दा/आनन्दीलाल पुत्र फून्देलाल नाई की विधिक वारिस है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारीज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम मैना सेन पुत्री आनन्दीलाल सेन दर्ज है एवं जमाबन्दी सम्वत 2075-78 भूमि ग्राम पनवाड़ तहसील देवली के खाता संख्या 506 खसरा नम्बर 637 रकबा 0.7900 है0 में घीसी पुत्री आनन्दीलाल हिस्सा 1/4 दर्ज है। पत्रावली में पेश दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़ की अंकतालिका में प्रार्थीया का नाम मैना सैन पुत्री आनन्दीलाल सेन अंकित है। दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम मैना सेन पुत्री आनन्दीलाल सेन सिद्ध होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2075-78 भूमि ग्राम पनवाड़ तहसील देवली के खाता संख्या 506 खसरा नम्बर 637 रकबा 0.7900 है0 में दर्ज **घीसी पुत्री आनन्दीलाल के स्थान पर मैना सेन पुत्री आनन्दीलाल सेन** दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली